तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
28/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता वादीगण की ओर से लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 31/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
31/01/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। पत्रावली का प्रकरण निम्न प्रकार है — प्रकरण निम्न प्रकार है — अन्तर्गत धारा प्रार्थीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 RTA 1955 इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि- - ग्राम मोतीपुरा में खसरा नं. 133 की 1.47 हैक्ट. भूमि स्थित है जिसका खातेदार वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार भागीरथ वल्द मिश्रीलाल जाति ओसवाल है। - उक्त विवादित भूमि का गत ख.नं. 81/30 था। - वादीगण के पिता श्री मांगीलाल द्वारा केसरराम पुत्र जीवनराम से ख.नं. 81/30 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा में से 8 बीघा भूमि खरीदी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 23/8/76 को
बेच की गई थी।
- उक्त आराजी का नामान्तरकरण
दिनांक 20/11/1978 को मांगीलाल
पुत्र मिश्रीलाल के नाम से खोला
गया था।
- चौथे सेटलमेन्ट मांगीलाल पुत्र
मिश्रीलाल के स्थान पर भागीरथ
वल्द मिश्रीलाल कर दिया गया।
- राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन के
कारण मांगीलाल की मृत्यु
उपरान्त आज तक उनका कोई
इन्तकाल नहीं खोला गया है।

प्रार्थना- ग्राम मोतीपुरा के खसरा
नम्बर 133 की 1.47 हैक्टेयर भूमि के
राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर भागीरथ
मिश्रीलाल ओसवाल के स्थान पर
मांगीलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति
ओसवाल जैन दर्ज किया जावे
तथा मांगीलाल की मृत्यु हो जाने
के कारण उनके वारिसान वारिगण

उपखण्ड अधिकारी
को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मदनलाल, नरेन्द्र कुमार, अशोक... को खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।
	* न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25/10/21 द्वारा उक्त वाद अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया।
	* प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 15/10/21 के विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय RAA कोटा में प्रस्तुत की गई।
	* न्यायालय RAA कोटा द्वारा प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 31.10.2023 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय SDM कोटा का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2021 खारिज कर दिया गया तथा प्रकरण निम्न निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रतिवादी से जवाबदावा
उपखण्ड अधिकारी कोटा	प्राप्त कर, तनकीवार गुणावगुण पर

...न या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
सम्बन्ध में नवीन निर्णय पारित किया जावे। * प्रतिप्रेषित प्रकरण दर्ज कर वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में तनकी विरचित की गई तथा बहस सुनी गई। * प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है - तनकी नं.1 - क्या वादीगण नगीन वल्द मिश्रीलाल के स्थान पर मांगीलाल वल्द मिश्रीलाल करवाने के अधिकारी है? उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा इस बाबत विक्रयपत्र दिनांक 27/8/1976 की प्रमाणित प्रति, इन्तकाल नं.12 दिनांक 10/2/1977 की प्रमाणित प्रति, मिलान खेतरकल संवत 2038-57 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	संवत् 2038-57 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संवत् 2025-28 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संवत् 2070-73 की प्रति, जमाबन्दी संवत् 2070-73 की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, तथा न्यायालय माँगीलाल की प्रति, तथा न्यायालय RAA में प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।
	जमाबन्दी संवत् 2025-28 से प्रमाणित है कि ग्राम मोतीपुरा की आराजी ख.नं. 81/30 रकबा 21 बीघा 6 बिस्वा केसरराम आत्मज जीवनराम के नाम दर्ज रिकार्ड थी। विक्रयपत्र दिनांक 27/8/1976 से प्रमाणित है कि केसरराम आत्मज जीवनराम द्वारा ख.नं. 81/30 में से 8 बीघा आराजी का बेचान मांगीलाल वल्द मिश्रीलाल ओसवाल को किया गया था। इन्तकाल दिनांक 10/02/1977 से प्रमाणित है बेचान दिनांक 27/8/1976 के आधार पर हस्तगत 8 बीघा भूमि के नए ख.नं. $\frac{81}{30}$ मि बने तथा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
भूमि मॉंगीलाल पुत्र मिश्रीलाल ओसवाल सा. कोटा के नाम दर्ज की गई। मिलान जमाबन्दी संवत् 2038.57 से प्रमाणित है कि ख. नं. 81/30 मि. के नये खसरा नं. 133 रकबा 1.47 Hect बने, लेकिन जमाबन्दी संवत् 2038.57 में मॉंगीलाल पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर भागीरथ वल्द मिश्रीलाल दर्ज कर दिया गया। न्यायालय RAA कोटा में प्रस्तुत रिपोर्ट तहसीलदार में स्पष्टतया अंकित किया गया है कि भगीरथ आत्मज मिश्रीलाल जाति ओसवाल के स्थान पर मांगीलाल आत्मज मिश्रीमल किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार वादीगण द्वारा अपना पक्ष पूर्णतया प्रमाणित किया गया है, अतः वाद में एकमात्र निर्णायक तनकी बहक वादी तय की जाती है।	

(2) अनुतोष:- वादीगण द्वारा अपना पक्ष प्रमाणित किया गया है तथा वाद में

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

Ashok Kumar Jain

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	(एकमात्र निर्णायक तनकी वहक वादी तय की गई है। अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मोतीपुरा की आराजी खसरा नं. 133 रकबा 1.47 हैक्ट पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार का नाम भागीरथ चन्द मिश्रीलाल के स्थान पर दुरुस्ती कर खातेदार का नाम मांगीलाल आत्मज मिश्रीमल ओसवाल दर्ज किया जावे। साथ ही तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि खातेदार मांगीलाल का देहान्त हो चुका है अतः वारिसान की जाँच कर नियमानुसार फौती इन्तकाल दर्ज किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31/01/2025 को मेरे द्वारा लिखकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	31/01/2025 उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा